

I/54478/2023

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2023 को सुबह 10:30:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद एसईजेड) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- श्री प्रवीण कुमार मित्तल, संयुक्त आयुक्त, आयकर विभाग, जयपुर
- बी श्री पी एन शर्मा, संयुक्त। निदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार,
- श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नोएडा (वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 23.09.2008 के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)।
- श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी ii) श्री संजय झा, वरिष्ठ आरएम (आरआईआईसीओ) iii) श्री पंकज शर्मा, उप भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकती है।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर एक-एक करके कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए।


कार्यसूची संख्या 1- 20.11.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से 20.11.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 20.11.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 2- जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर, (राजस्थान) में एक इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स रुद्राली ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव:

2.1 बैठक में रीको द्वारा एसईजेड-II, सीतापुरा, जयपुर (मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में आवंटित प्लॉट संख्या H-196 पर एक इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स रुद्राली ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

2.2 श्री प्रशांत गुप्ता और श्रीमती श्वेता गुप्ता (दोनों निदेशक) अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण के साथ संशोधित फॉर्म-एफ जमा करेंगे।



I/54478/2023

2.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से "प्राकृतिक हीरे से जड़ित चांदी के आभूषणों के निर्माण और निर्यात (एचएस कोड 71131143)" को छोड़कर प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन उत्तरी सोलापुर में उनकी डीटीए इकाई के संबंध में स्थानीय सीजीएसटी अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन है।

कार्यसूची संख्या 3- अधिकृत वस्तुओं की ब्रॉडबैंडिंग के साथ एलओए के नवीनीकरण के लिए मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव:

3.1 एलओए नंबर 2-54-एसईजेड-॥ (जे) परियोजना/259 में उत्पादों की ब्रॉडबैंडिंग के लिए एलओए के नवीनीकरण के लिए मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नंबर एच1-81, एसईजेड-॥ के प्रस्ताव पर दिनांक 24.09.2004 की बैठक में चर्चा की गई।

3.2. श्री अजय सिंघल, भागीदार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेंगे।

3.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से एक वर्ष के लिए यानी **02.09.2024** तक एलओए के नवीनीकरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। यह दिनांक 04.08.2023 के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार कमियों के सुधार और सीमा शुल्क सत्यापन के अधीन है। इसके अलावा, समिति ने निम्नलिखित को छोड़कर फॉर्म एफ1 में उल्लिखित उत्पादों के निर्माण/अधिकृत संचालन को भी मंजूरी दे दी

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131143	शीर्ष 7102 के प्राकृतिक हीरों से जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	1000.00
2.	71131144	शीर्ष 7104 के कृत्रिम हीरे जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	1000.00
3.	71131149	चांदी के आभूषण अन्य	किग्रा	1000.00
4.	71039110	चाँदी की वस्तुएँ	किग्रा	500.00
5.	71141120	चाँदी की वस्तुओं के हिस्से	किग्रा	200.00
6.	71141910	सोने की वस्तुएं	किग्रा	200.00
7.	71141920	प्लैटिनम के लेख	किग्रा	100.00

अतिरिक्त

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
8.	71141930	सोने और प्लैटिनम वस्तुओं के हिस्से	किग्रा	100.00
9.	71142010	सोने से मढ़ी आधार धातु की वस्तुएं	किग्रा	200.00
10.	70142020	कीमती धातु से आच्छादित आधार धातु की अन्य वस्तुएं	किग्रा	200.00
11.	71142030	कीमती धातु से ढके आधार धातु के हिस्से	किग्रा	100.00
12.		काम किया हुआ सींग, मूंगा और अन्य जानवरों पर नक्काशी की गई सामग्री और उससे बनी वस्तुएं	किग्रा	200.00

3.4. इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इकाई के निर्यात प्रदर्शन की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित अवधि के दौरान इकाई का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.5. अनुमोदन समिति ने जेएसईजेड के सीमा शुल्क प्रभाग को भंडार और संयंत्र और मशीनरी का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।

3.6. प्रस्ताव की मंजूरी सीमा शुल्क सत्यापन के साथ इकाई को पहले से बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वाणिज्य विभाग द्वारा जारी एफटीपी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए BLUT भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची संख्या 4- अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के साथ एलओए के नवीनीकरण के लिए मेसर्स ए एम एक्सपोर्टर्स का प्रस्ताव:

4.1 एलओए संख्या 2-29-एसईजेड-द्वितीय (जे) परियोजना/166 में एलओए संख्या में वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ एलओए के नवीनीकरण के लिए मेसर्स ए एम एक्सपोर्टर्स, प्लॉट संख्या जी1-46, एसईजेड-द्वितीय का प्रस्ताव दिनांक 23.07.2004 की बैठक में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता पर चर्चा की गई।

4.2. श्री महेंद्र अग्रवाल, भागीदार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तरों के साथ एक संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेंगे।

निर्देश

I/54478/2023

4.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से एक वर्ष के लिए यानी 21.07.2024 तक एलओए के नवीनीकरण को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। यह दिनांक 04.08.2023 के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार कमियों के सुधार और सीमा शुल्क सत्यापन के अधीन है। इसके अलावा, समिति ने निम्नलिखित को छोड़कर फॉर्म एफ1 में उल्लिखित उत्पादों के निर्माण/अधिकृत संचालन को भी मंजूरी दे दी:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131149	अन्य- चाँदी के आभूषण	किग्रा	200.00
2.	71131913	शीर्ष 7102 के प्राकृतिक हीरे जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
3.	71131915	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
4.	71023910	काम किये हुए हीरे लेकिन जड़े हुए या सेट नहीं	कैरट	5000.00
5.	71012200	सुसंस्कृत मोती - काम किया	किग्रा	50.00

4.4. इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इकाई के निर्यात प्रदर्शन की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी और संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इकाई के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

4.5. अनुमोदन समिति ने जेएसईजेड के सीमा शुल्क प्रभाग को भंडार और संयंत्र और मशीनरी का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।

4.6. प्रस्ताव की मंजूरी इकाई को पहले ही बताई गई टिप्पणियों के सुधार और रीको के 1.69/- लाख रुपये बकाया जमा करने के साथ-साथ सीमा शुल्क द्वारा किए गए सत्यापन के अधीन है। इकाई, वाणिज्य विभाग द्वारा जारी एफटीपी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का पालन करेंगे। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए BLUT भी निष्पादित करेंगे।

कार्यसूची संख्या 5 एलओए में संशोधन और अधिकृत वस्तुओं की ब्रॉडबैंडिंग के साथ एलओए की कुछ नई वस्तुओं और उत्पादन क्षमता को शामिल करने के लिए मैसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर एच-49 का प्रस्ताव:

नितिन

I/54478/2023

5.1 अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ कुछ नई वस्तुओं और एलओए की उत्पादन क्षमता को शामिल करने के लिए मैसर्स ग्लोबल इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर एच-49, एसईजेड-आई, सीतापुरा, जयपुर के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

5.2 अनुमोदन समिति के समक्ष कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के निदेशक/साझेदार की अनुपस्थिति के संबंध में गंभीर रुख अपनाया। अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान इकाई का निर्यात प्रदर्शन बहुत असंतोषजनक है।

5.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अगले समिति के लिए स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि इकाई के निदेशक/साझेदार अगली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को पहले से बताई गई सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अनुमोदन समिति ने जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रभाग को इकाई के भंडार और संयंत्र और मशीनरी का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(नितिन गुप्ता)
उप विकास आयुक्त

(ए बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त
